



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221989  
CG-DL-E-25092020-221989

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2957]  
No. 2957]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

आयकर

का.आ. 3308(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 120 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (6ग) के अंतर्गत जारी एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-II में दिनांक 25.09.2020 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का.आ. 3297(अ) की सं. 2020 का 77 में प्रकाशित अधिसूचना के साथ पठित अधिनियम की उपधारा (6ख) के अंतर्गत निर्मित तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-II में दिनांक 25 सितंबर, 2020 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का.आ. 76(अ) की अधिसूचना सं. 3296(अ) के तहत प्रकाशित, फेसलेस अपील स्कीम, 2020 (जिसे बाद में स्कीम के रूप में संदर्भित किया गया) को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (जिसे बाद में बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया) एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय फेसलेस अपील केन्द्र (जिसे बाद में 'एनएफएसी' कहा गया) के आयकर प्राधिकारी जिनका मुख्यालय दिल्ली में है, दिनांक 25/9/2020 को अथवा इसके उपरान्त अधिनियम की धारा 246क अथवा 248 के अंतर्गत दाखिल लंबित/शुरू की गई अपीलों के संबंध में स्कीम के पैरा 3 में बोर्ड द्वारा यथा

विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा आय अथवा आय के वर्ग अथवा मामले अथवा मामले के वर्ग के संबंध में फेसलेस अपील कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्य करेंगे, नामतः-

### अनुसूची

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारी
(1)	(2)
1	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली
2	आयकर अधिकारी (एनएफएसी)(मुख्या.), प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली का कार्यालय
3	आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली
4	आयकर अधिकारी (एनएफएसी)(मुख्या.), आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली का कार्यालय
5	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली
6	उप/सहायक आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली

2. यह अधिसूचना 25 सितंबर, 2020 से प्रभाव में आएगी।

[अधिसूचना सं.80/2020/फा.सं.279/विविध/66/2014-एसओ-आईटीजे(पार्ट)]

अंजुला जैन, निदेशक